

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना**

हैदराबाद,, 2023

फा. सं.भाबीविविप्रा/साधारण बीमा/प्रशुल्क/ / 2023. – बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा अग्नि, मोटर और इंजीनियरिंग, कामगार प्रतिकर और बीमा व्यवसाय के अन्य वर्गों के अंतर्गत सभी प्रशुल्क उत्पादों में विवाचन खंड की अधिसूचना को निरस्त करता है।

1. वर्ष 2006 में, प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा प्रशुल्कों के प्रत्याहरण के अनुसरण में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("प्राधिकरण") आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संदर्भ 034/आईआरडीए/डी-टैरिफ/दिसंबर-06 दिनांक 4 दिसंबर 2006 जारी की, जिसमें यह अधिसूचित किया गया कि व्यवसाय के कुछ वर्गों जैसे अग्नि, इंजीनियरिंग, मोटर, कामगार प्रतिकर तथा बीमाओं के अन्य वर्गों के लिए लागू प्रशुल्क (टैरिफ) संबंधी सामान्य विनियम (रेटिंग से संबंधित को छोड़कर अन्य), शर्तें, निबंधन, खंड, वारंटियाँ, पालिसी और पृष्ठांकन शब्दावली/ वाक्यरचना जो उस समय प्रशुल्कों के अधीन थीं, का पालन करना अगले आदेशों तक जारी रहेगा।
2. अब बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण के पास निहित शक्तियों के आधार पर प्राधिकरण इसके द्वारा अधिसूचित करता है कि पूर्व के प्रशुल्कों के द्वारा नियंत्रित बीमा व्यवसाय के जोखिमों के लिए लागू प्रशुल्क संबंधी सामान्य विनियमों, शर्तों, निबंधनों, खंडों, वारंटियों, पालिसी, ऐड-आनों, पृष्ठांकन संबंधी शब्दावली/वाक्यरचना और प्रस्ताव फार्म में विवाचन खंड संबंधी उपबंधों की अधिसूचना 27 अक्टूबर 2023 से प्रभावी रूप में निरस्त की गई है।
3. तदनुसार, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 27 अक्टूबर 2023 से विवाचन खंड के संबंध में बीमा जोखिम संविदाओं के उल्लेख से युक्त उपबंध प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र के अधीन होगा।

देबाशीष पण्डा
अध्यक्ष, आईआरडीएआई

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the _____, 2023

F. No. IRDAI/Gen Insurance/Tariff/ / /2023.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 64 ULA of the Insurance Act, 1938, the Authority hereby de-notifies the Arbitration clause in all tariff products under Fire, Motor and Engineering, Workmen's Compensation and other classes of insurance business.

1. In the year 2006, pursuant to the withdrawal of tariffs by the Tariff Advisory Committee, the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("Authority") in exercise of powers vested in it under clause (i) of sub section (2) of Section 14 of the IRDA Act, 1999, issued notification Ref.034/IRDA/De-Tariff/Dec-06 dated 4th December, 2006, wherein it was notified that the tariff general regulations (other than those relating to rating), terms, conditions, clauses, warranties, policy and endorsement wordings applicable to certain classes of business such as Fire, Engineering, Motor, Workmen's Compensation and other classes of insurances which were then under tariffs shall continue to be followed until further orders.
2. Now, by virtue of powers vested with the Authority under sub section (1) of Section 64 ULA of the Insurance Act, 1938 the Authority hereby notifies that the Arbitration clause related provisions in the tariff general regulations, terms, conditions, clauses, warranties, policy, add-ons, endorsement wordings and proposal form applicable to the risks of insurance business governed by the erstwhile Tariffs stand de-notified with effect from 27th October, 2023.
3. Accordingly, it is hereby notified that with effect from 27th October, 2023, insurance risks contracts mentioned provision regarding Arbitration clause shall be subject to the circular issued in this regard by the Authority and amended from time to time.

Debasish Panda,
Chairman, IRDAI

संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/188/10/2023
Ref: IRDAI/NL/CIR/MISC/188/10/2023

दिनांक: 27 अक्टूबर, 2023
Date: 27th October, 2023

प्रति/To,

सभी साधारण बीमा कंपनियों के सीईओ / सीएमडी

All CEOs / CMDs of General Insurance Companies

विषय: साधारण बीमा पालिसियों में विवाचन खंड का संशोधन

Re: Amendment of Arbitration Clause in General Insurance policies

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के संदर्भ में आईआरडीएआई ने साधारण बीमा उद्योग में व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रचलित वर्तमान विवाचन खंड की एक व्यापक समीक्षा की है। हितधारकों के साथ उचित परामर्श करने के उपरांत, आईआरडीएआई का अभिमत है कि वर्तमान विवाचन खंड का विस्तार सीमित है तथा इसका संशोधन करने की आवश्यकता है। यह भी देखा गया है कि विवाचन खंड के उपबंधों से खुदरा / वैयक्तिक पालिसीधारक बाहर रखे जा सकते हैं क्योंकि उनकी शिकायतों / विवादों के निवारण के लिए सिविल न्यायालयों के साथ ही, बीमाकर्ता की शिकायत प्रणाली, बीमा लोकपाल और उपभोक्ता न्यायालयों के वैकल्पिक मंच उपलब्ध हैं।

On reference made by the Hon'ble Supreme Court of India, IRDAI undertook a comprehensive review of the extant Arbitration Clause prevalent across various lines of business in the General Insurance Industry. After due consultation with stakeholders, IRDAI is of the view that the extant Arbitration Clause is limited in scope and need to be amended. It was also viewed that the retail / individual policy holders may be kept out from the provisions of Arbitration Clause as they have alternative forums of Insurer's Grievances System, Insurance Ombudsman and the Consumer Courts besides the Civil Courts available for redressal of their grievances/ disputes.

तदनुसार, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निदेश देता है कि

Accordingly, the Authority in exercise of its powers under Clause (i) sub Section (2) of Section 14 of the IRDA Act, 1999, hereby directs that

- I. व्यवसाय की खुदरा व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी की गई सभी पालिसियों में कोई विवाचन खंड नहीं होगा।
All policies issued under the Retail Lines of Business shall not have any Arbitration Clause.
- II. व्यवसाय की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी की गई सभी पालिसियों में निम्नानुसार एक विवाचन खंड होगा:
All policies issued under the Commercial Lines of Business shall have an Arbitration Clause as under:

“इस संविदा के पक्षकार इस पालिसी से संबंधित किसी भी और सभी विवादों का निपटान करने के लिए पारस्परिक तौर पर सहमत हो जाएँ और एक अलग विवाचन करार कर लें।

“The parties to the contract may mutually agree and enter into a separate Arbitration Agreement to settle any and all disputes in relation to this policy.

विवाचन का संचालन मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अंतर्गत और उक्त उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।”

Arbitration shall be conducted under and in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.”

III. अस्थायी उपबंध / Transitory provisions

क. इस परिपत्र की तारीख को या उसके बाद जारी की गई सभी नई पालिसियों के लिए:

a. For all the new policies issued on or after the date of this circular:

- यह समझा जाएगा कि सभी खुदरा पालिसियों से विवाचन खंड हटाया गया है।
Arbitration Clause shall be deemed deleted from all the retail policies.
- उपर्युक्त 'II' पर उल्लिखित खंड सभी वाणिज्यिक बीमा पालिसियों की सामान्य शर्तों में विवाचन खंड के रूप में माना जाएगा।
Clause at 'II' above shall be deemed to be the Arbitration Clause in General Conditions of all the commercial insurance policies.

ख. सभी वर्तमान पालिसियों के लिए:

b. For all the existing policies:

- वर्तमान विवाचन खंड पालिसी की अवधि तक विधिमान्य रहेगा जब तक पालिसीधारक उपर्युक्त "II" पर विद्यमान खंड से इसे प्रतिस्थापित करने के लिए बीमाकर्ता से विशिष्ट रूप से अनुरोध नहीं करता।
The existing Arbitration Clause shall remain valid till the term of the policy unless a policyholder specifically requests the insurer to replace it with the clause at "II" above.
- यह समझा जाएगा कि इस परिपत्र की तारीख को या उसके बाद नियत होनेवाली नवीकरण की तारीख से सभी वाणिज्यिक पालिसियों में "II" पर विद्यमान खंड ने वर्तमान विवाचन खंड को प्रतिस्थापित किया है।
The clause at "II" shall be deemed replaced the existing Arbitration Clause in all the commercial policies from the date of renewal falling on or after the date of this circular

बीमाकर्ता इसे पालिसीधारकों की जानकारी में लाने और ऐसी पालिसियों के संबंधित उपबंधों का संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँगे।

Insurers shall take necessary steps to bring it to the notice of the policyholders and to amend the relevant provisions of such policies.

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

This circular comes into force with immediate effect.

हस्ता. / SD./-

**(रणदीप सिंह जगपाल / Randip Singh Jagpal)
कार्यकारी निदेशक (गैर-जीवन) / ED (Non-Life)**